रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2288] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 19, 2015/आश्विन 27, 1937
No. 2288] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2015/ASVINA 27, 1937

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2872(अ).—राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 3 के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री आलोक रावत को राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में नामित करती है।

2. श्री आलोक रावत का कार्यकाल उनके कार्यभार संभालने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, होगा।

[सं. 9-2/2014-एनसीडब्ल्यू (ए) (पार्ट)]

समीर सिन्हा, अवर सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2015

S.O. 2872(E).—In pursuance of Section 3 of the National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990) the Central Government hereby nominates Shri Alok Rawat as Member of National Commission for Women.

2. Shri Alok Rawat shall hold office for a period of three years from the date of assumption of charge of office or until further orders, whichever is earlier.

[No. 9-2/2014-NCW (A) (Pt.)]

SAMIR SINHA, Under Secy.

4483 GI/2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.